कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
पत्रांक– 2605/14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 2013/2017.

सेवा में,

अधिषाशी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3
लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी ।

विषयः– **जनपद–बाराबंकी पुराने एन0एच0–28 लखनऊ–फैजाबाद मार्ग के शहरी भाग में रेठ नदी के समीप किमी0 24–25 के मध्य 30 मी0 स्पान आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कार्य एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या– 28 के किमी0 22–23 के मध्य असैनी मोड़ के चौड़ीकरण हेतु 0.38375 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरण तथा प्रभावित 5 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या– पी–164/14–2–2016–800(164)/2016 दिनांक 28–12–2016 एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 2111/14–4–4 दिनांक 27–01–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या एफ0न0– 11–268/2014 एफसी दिनांक 11–07–2014 व एफ न0 संख्या– 11–09/98 एफसी दिनांक 21–08–2014 के आलोक में उ0 प्र0 शासन वन अनुभाग–2 के पत्र संख्या– पी–164/14–2–2016–800(164)/2016 दिनांक 28–12–2016 द्वारा जनपद बाराबंकी में **एन0एच0–28 लखनऊ–फैजाबाद मार्ग के शहरी भाग में रेठ नदी के समीप किमी0 24–25 के मध्य 30 मी0 स्पान आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कार्य एवं राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या– 28 के किमी0 22–23 के मध्य असैनी मोड़ के चौड़ीकरण हेतु 0.38375 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरण तथा प्रभावित 5 वृक्षों के पातन की** सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है इसके क्रम में उक्त सभी निधियॉ, भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि तथा प्रभागवित वन भूमि 0.38375 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने 0.7675 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए) अलग–अलग ई–पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14–10–2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइट www.forestsclearnce.nic.in में चालान के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या सहित सूचना निम्न विन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त ई–पेमेन्ट द्वारा कारपोरेशन बैंक लोधी काम्प्लेक्स ब्रांच ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक नं0–11 सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स फेस नं0–1 लोदी रोड नई दिल्ली में जमा करके चालान की छायाप्रति संहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग–अलग अवश्य प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी। आपके पत्रांक 450/1काम दिनांक 06–02–2017 के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी के पत्र संख्या– 259/14 दिनांक 08–03–2017 द्वारा प्राप्त 50 वृक्षों के आगणन के आधार पर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के मद संख्या–3 में आंशिक संशोधन करते हुए धनराशि जमा करने एवं अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1– प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या –5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण **(Compensatory Afforestration, Fund Management and Planning Authority)** के पक्ष में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

2– **प्रस्तावक विभाग के व्यय पर प्रभावित संरक्षित 0.38375 हे0 वन भूमि दोगुने 0.7675 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु धनराशि रू0 425400/– (चार लाख पचीस हजार मात्र)** ई–पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा **किया जायेगा।**

प्रस्तावक के व्यय पर चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वन भूमि पर 60 + 10 ब्रिकगार्ड कुल 70 ब्रिकगार्ड का रोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव सहित आवश्यक धनराशि रू0 382256/– ई–पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाय।

4– उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार **शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) तथा दूसरी सगी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण** के पक्ष में एन0आई0सी0 के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान के माध्यम से जमा कराया जाय। उक्त निर्धारित धनराशि **(0.38375 x 626000= 24027.50)** रू0 240228/– (रू0 दो लाख चालिस हजार दो सौ अट्ठाइस मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराया जाय तथा उसकी पठनीय शुद्ध प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाय।

5– **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।**

6– वन भूमि की बैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7– प्रस्तावक एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।

8 प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आप–पास फ्लोरा (वनस्पति)/फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें। अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा /फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।

9– प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

11– उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0 प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

12– भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–08–2010 तथा पत्र संख्या J–11013/41/2006–IA-II(I) दिनांक 02–12–2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन वन्य जीव की दृष्टि से स्टैण्डिंग कमेटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जाय।

13– उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

14– राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।

15– प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

16– यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

17– समस्त वैधानिक /प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

18– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

19– इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 13–02–2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

20– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक– 11–9/98एफसी दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू संदर्भित

डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें। जिसमें वन सीमांओं को विशेष डाटा (SHP) फाइल में दर्शाया गया हो।

21– प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0 प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं ट्रान्सपोर्ट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षो के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रभावित 5 वृक्षों के सापेक्ष रू0 10/– प्रति वृक्ष की दर से रू0 50/– (पचास रू0 मात्र) जमा करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक– 5–1/2007–एफ.सी. दिनांक 11–12–2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

22– प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

23– भारत सरकार के परिपत्र संख्या– 11–98–एफ.सी. दिनांक 13–02–2014 के शर्त संख्या– (Xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृत इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार /सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।

24– प्रस्तावक विभाग को कार्य आरम्भ करने से पूर्व भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

25– उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / दिनांकित।

1– प्रतिलिपि, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार तथा उ0 प्र0 शासन लखनऊ से विधिवत स्वीकृत /शासनादेश जारी न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम–1980 एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

त्रिभुवन/–